ANNEXURE 6.1

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
[illegible]

दूरभाष 0522-[illegible]
फैक्स 0522-[illegible]
[illegible]

संख्या 138 /आ.ब.-1/निदेशक/2016-17
लखनऊ दिनांक 15 [illegible] 2017

प्रेषक,

पन्धारी यादव
अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

3. उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

विषय: प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में भवन मानचित्र प्रणाली को ऑन-लाईन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार की Ease of Doing Business सम्बन्धी [illegible] का अनिवार्य रूप से [illegible] करने की दृष्टि से ऑन लाईन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली प्रथम चरण में लखनऊ/कानपुर विकास प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में [illegible] किया जा रहा है। इस कार्य हेतु M/s Nyati Technologies Private Limited का शासन स्तर से चयन किया जा चुका है।

संदर्भित ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से उपरोक्त एजेन्सी को सम्बन्धित प्राधिकरण में प्रचलित मानचित्र स्वीकृति की विद्यमान प्रक्रिया, [illegible] महायोजना, आवासीय योजना व सम्पत्तियों का विवरण, विभागीय संरचना आदि [illegible] सूचनाओं की आवश्यकता है। इन सूचनाओं को विभिन्न स्तर से आवश्यकतानुसार [illegible] एजेन्सी को शीघ्रता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राधिकरण स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित करना अपरिहार्य है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित करते हुए नाम, पदनाम, दूरभाष सहित पूर्ण विवरण निदेशक, आवास बन्धु को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया [illegible] परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त एजेन्सी के [illegible] प्रतिनिधि को प्राथमिकता के आधार पर [illegible] सहयोग प्रदान करने हेतु नामित नोडल अधिकारी को अपने स्तर से स्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पन्धारी यादव)
अधिशासी निदेशक

ANNEXURE 6.1

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्रधान [illegible]
दूरभाष 0522-[illegible]
फैक्स [illegible]
E-mail: [illegible]@gmail.com
website: http://www.[illegible]

संख्या: 118 /आ.ब.-1/निदेशक/2016-17

लखनऊ: दिनांक 07 [illegible], 2017

प्रेषक,

एस.के. श्रीवास्तव,
निदेशक
आवास बन्धु, उ.प्र.

आवश्यक/महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में भवन मानचित्र प्रणाली को ऑन-लाईन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार की Ease of Doing Business सम्बन्धी [illegible] को लागू करने की दृष्टि से समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत एवं ऑन-लाईन प्रणाली में परिवर्तित करने की योजना प्रारम्भ की जा रही है। शासन से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त इस योजना के क्रियान्वयन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा के माध्यम से एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। उक्त एजेन्सी प्रदेश के समस्त संदर्भित अभिकरणों में भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को ऑन लाईन प्रणाली में विकसित करेगी। उक्त सम्पूर्ण योजना पर रू. 80.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस व्यय को वेटेड मूल्यांकन पद्धति के आधार पर विभिन्न अभिकरण पर अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। आवास बन्धु द्वारा समुचित आंकलन कर समस्त अभिकरणों को व्यय हेतु अंशदान के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सामयिक वित्त पोषण की दृष्टि से समस्त अभिकरणों के आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधान किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों एवं उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के आगामी बजट में निम्नानुसार प्रारम्भिक वित्तीय प्राविधान किया जाना अपेक्षित है

क्र. सं.	श्रेणी	अभिकरण का नाम	धनराशि
1	ए.एस	लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	प्रत्येक रू0 2.50 करोड़